

# न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, गडरारोड़

राजस्व प्रकरण सं.

अन्तर्गत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

राजस्थान सरकार

श्री सुख सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह

जरिये पटवारी हल्का

कौम यमनूर निवासी कच्छ

कच्छ

तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

"निर्णय"

दिनांक 05/04/18

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कच्छ ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि गै. सा. ने मौका कच्छ के खसरा नं. 958 रकबा 0.10 बीघा 0.10 में से 0.10 बीघा किस्म कच्छ राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन कराने पर गैर सायल को अनिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं मास ही वार्षिक लगान दर रुपये 50 पैसा गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 पूर्णांक में 50 रुपये पच्चास अक्षरे रु. 200 मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत कच्छ को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योप में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भैतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 05/04/18 को सरेआम सुनाया गया।

जुमाना 50 फसल नि. —  
कुल योग 50/— जि.के पृष्ठ सं. 06  
दिनांक 05/04/18 इन्द्राज किया गया।

कच्छ  
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

कच्छ  
तहसीलदार गडरारोड़  
जिला-बाड़मेर  
तहसीलदार गडरारोड़